छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

फरवरी, 2018 सत्र

वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या – 7, 22, 69, 81, 11,

मांग संख्या – 28, 30, 80, 19, 79,

मांग संख्या – 29, 10 से संबंधित

भाग - एक

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण
1.	**श्री अमर अग्रवाल**	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
		22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय
		69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय
2.	**श्री अजय चंद्राकर**	28	राज्य विधान मण्डल
		30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
		80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय
3.	**श्री महेश गागड़ा**	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
		10	वन

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी, 2018 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2018—2019 के आय—व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – एक में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) रेणू जोगी, सदस्य
6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
7. श्री अरूण वोरा, सदस्य
8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य
9. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
10. श्री अमरजीत भगत, सदस्य
11. श्री कवासी लखमा, सदस्य
12. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य
13. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य
14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य
15. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
16. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य
17. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
18. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य
19. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य
20. श्री मोहन मरकाम, सदस्य
21. श्री संतराम नेताम, सदस्य
22. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य
23. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य
24. श्री दीपक बैज, सदस्य
25. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य
26. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य
27. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य
28. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य
29. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य
30. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य
31. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य

मांग संख्या– 7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 2,56,98,68,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 5

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में पूर्णतः शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।
(2) पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को छूट देने का उल्लेख नहीं है।
(3) पेट्रोल एवं डीजल में लगाये वैअ दरों को कम करने का उल्लेख नहीं है।
(4) शराब खरीदी में शराब कंपनी द्वारा दी जाने वाली छूट की राशि को किस मद में व्यय किया जा रहा है इसका उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में शराब बंदी करने का उल्लेख नहीं है।
(2) पेट्रोल एवं डीजल में वेट एवं सेस कर को कम करने का प्रावधान नहीं है।
(3) प्रदेश में हो रहे अवैध शराब बिक्री के रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
(4) प्रदेश में मध्यम वर्गीय नागरिकों के उपयोग की वस्तुओं के कर में कमी करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(5) नशा मुक्ति अभियान चलाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गांव–गांव में अवैध शराब बिक्री को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(2) चांपा में शासकीय शराब दुकान गौरव पथ से हटाये जाने की नगरवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग के बावजूद नहीं हटाया जा रहा है का उल्लेख नहीं है ।

4. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वर्तमान आबकारी नितियों से प्रदेश वासियों में आक्रोश व्याप्त है ।
(2) डीजल एवं पेट्रोल में वेट कटौती का प्रावधान नहीं है।
(3) प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी का प्रावधान नहीं है।
(4) अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कर छूट का प्रावधान नहीं है।

5. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में डीजल–पेट्रोल पर वेट टेक्स में कमी नहीं की गई। प्रदेश में अवैध शराब बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिलासपुर जिला में वाणिज्यिक कर भवन का प्रावधान नहीं है।

7. श्री लखमा कवासी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आबकारी नीतियों में संशोधन से प्रदेश वासियों में आक्रोश व्याप्त है ।

8. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में शराब बंदी की घोषणा नहीं की गई है।

9. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जी.एस.टी. लागू करने के बाद प्रदेश में टेक्स की कमी की भरपाई का उल्लेख नहीं है।
(2) डीजल–पेट्रोल के वैट टेक्स में कमी नहीं किया गया जिसके कारण उपभोक्ता एवं किसान मंहगाई का सामना कर रहें है।
(3) मनरेगा का बजट कम कर दिया गया है जो कि मजदूरों के लिए हितकर नहीं है।
(4) उत्पाद शुल्क में वृद्धि करके शराब से शासन पैसे कमा रही है।
(5) प्रदेश में शराब की बिक्री बढ़ना चिंताजनक है।

10. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की अवैध बिक्री को नियंत्रित करने में सरकार असफल रही है।
(2) प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी करने में सरकार असफल रही है।

11. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पेट्रोल एवं डीजल में लगाये गये वेट दरों को कम करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की घोषणा का उल्लेख नहीं है।

12. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की घोषणा का उल्लेख नहीं है।

13. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शराब की अवैध तस्कारी को रोकने हेतु ठोस नीति का उल्लेख नहीं है।

14. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में शराब बंदी करने का उल्लेख नहीं है।
(2) अवैध शराब बिक्री को रोकने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 22

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग – नगरीय निकाय

मतदेय राशि **रूपये 1,74,58,37,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 18

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जिला सरगुजा के अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(2) नगरीय निकाय क्षेत्रों में निवासरत आरक्षित वर्ग के लोगों का निकायम के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनाने में सरलीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

(3) नगरीय निकायों में संपत्तिकर कम करने का उल्लेख नहीं है।

(4) नगरीय निकायों में संपत्तिकर कम करने का उल्लेख नहीं है।

(5) नगरीय निकायों के अधिकारियों–कर्मचारियों को 7 वें वेतनमान का एरियर्स दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगरीय निकायों में वर्षों से निवासरत लोगों को पट्टा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) नगरीय निकायों में पेयजल आवर्धन योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) नगरीय निकायों में संपत्ति कर में कमी करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) नगरीय निकाय को अधिकार संपन्न बनाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के नगरीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी का कोई प्रावधान नहीं है ।

(2) मेरे निर्वाचन क्षेत्र के न.नि. रायपुर के वार्ड क्र. 27, व्ही आई पी एम.आर. सड़क क्र 23,21 के संधारण नाली के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है ।

4. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर नैला नगरपालिका क्षेत्र के अनेक सूखे तालाब की सफाई एवं जल भराव का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगर पंचायत बस्तर में गरीबी रेखा जीवन यापन चरने वाले एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आदिवासी, हरिजन को कर छूट कराने का कोई उल्लेख नहीं है ।

(2) नगर पंचायत बस्तर मूलभूत सुविधा रोड, नाली बिजली पानी के संबंध में का कोई उल्लेख नहीं है ।

(3) नगर पंचायत–बस्तर के तालाबों का सौन्दर्यीकरण एवं जल भराव का कोई उल्लेख नहीं है ।

(4) नगरीय निकायों में सम्पति कर कम करने का कोई उल्लेख नहीं है ।

6. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में नगरीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपेक्षा रोकने का प्रावधान नहीं है।

7. श्री लखमा कवासी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के नगरीय निकायों में हो रहे गुणवत्ता विहीन कार्यो को रोकने में प्रदेश सरकार विफल रही है ।

8. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सभी शहरों में सीवरेज सीस्टम बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) नगर पंचायत पेण्ड्रा अंतर्गत बांधारानी तालाब सौंदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।
(3) महापौर नगरपालिका । पंचायत अध्यक्ष एवं पार्षदों के मानदेय बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
(4) नगरीय क्षेत्रों में भी कार्यरत मजदूरों को मनरेगा के समान रोजगार दिलाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में शुद्व पेयजल के लिए जल आवर्धन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
(6) स्मार्ट सिटी योजना के क्रियांवयन की गति तेज करने का उल्लेख नहीं है।
(7) यूजर चार्ज के नाम पर नगरीय निकायों क्षेत्रों के निवासियों से सफाई कर लिया जा रहा है जिसे समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।
(8) राज्य के नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को वास्तविक रूप से ओडीएफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(9) तालाबों की सफाई एवं उसमें पानी भराव का उल्लेख नहीं है।
(10) सम्पत्तिकर में कमी लाने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) दंतेवाड़ा में माई दंतेश्वरी टेम्पल स्टेट प्रिमाईनस से हटाए गए व्यवसायीयों, रहवासियों को पुर्नवासित व्यवस्थापन के कोई योजना नहीं है ।
(2) प्रदेश के नगरीय निकायों के निवार्चित जन प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार उन्हें वापिस दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

10. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिल्हा विधान सभा के नगर पालिका तिफरा नगर पंचायत बोदरी सरगांव में विश्राम गृह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

11. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के नगरीय निकायों में हो रहे गुणवत्ताहीन निर्माण को रोकने में प्रदेश सरकार विफल रही है।
(2) खैरागढ़ वि.स. क्षेत्र के नगरीय निकायों अंतर्गत विद्युत की समुचित व्यवस्था, पेयजल तथा स्वच्छता की कमी है।
(3) राजनांदगांव शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
(4) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निर्मित अवैध कॉलोनियों को नियमित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी योजना तो बनाइ गई है, किन्तु बजट में ग्रामों के विकास के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
(6) खैरागढ़ के जयराम तालाब के बजट में सफाई एवं सौंदर्यीकरण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
(7) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के वि.ख. छुईखदान में शक्कर कारखाना खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
(8) खैरागढ़ के विकास हेतु कोई नई योजनाऐं हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) रामानुजगंज में कम्युनिटी हाल के निर्माण की योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) नगर पंचायतों की सड़क की मरम्मत की योजना नहीं है।
(3) बलरामपुर जिले के नगर पंचायत की नगर पालिका बनाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
(4) रामानुजगंज नगर पंचायत में नाली निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 69

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग – नगरीय कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 8,50,43,35,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 30

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निर्माणाधीन आवासों में आर्थिक अनियमितता के नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
(2) अवैध कालोनियों के निर्माण को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में (फायर एण्ड सेफ्टी) आगजनी की घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी उपायों का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में आगजनी रोकने सुरक्षा उपायों का उल्लेख नहीं हैं।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मेरे निर्वाचन क्षेत्र न.नि. बिरगांव में फायर ब्रिगेड का कोई प्रावधान नहीं है ।
(2) मेरे निर्वाचन क्षेत्रांतर्गत बोरिया खुर्द वार्ड क्र 52 में बच्चों के लिये पार्क का कोई प्रावधान नहीं है ।
(3) मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बिरगांव न.नि. क्षेत्र में बच्चों के खेल–कूद हेतु पार्क का कोई प्रावधान नहीं है ।
(4) मेरे निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड क्र. 52 बोरिया खुर्द स्थित गजराज तालाब के संवर्धन संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है ।

4. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगर पंचायत बस्तर में रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है ।
(2) नगर पंचायत बस्तर में ड्रेनेज नाली निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
(3) बस्तर नगर पंचायत में नया बस स्टेन बनाने का कोई उल्लेख नहीं है ।

5. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगर पंचायत गौरेला को नगर पालिका का दर्जा देने का उल्लेख नहीं है।
(2) पेण्ड्रा एवं रतनपुर के मुक्तिधाम में अहाता निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(3) गौरेला नगर पंचायत को 2017–18 वर्ष जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका बनाने का उल्ल्ेख नहीं है।

मांग संख्या – 81

नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 23,99,80,30,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 18

1. **श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नगर पंचायत बस्तर में नवीन गौरव पथ स्वीकृति का उल्लेख नहीं है ।
   (2) प्रदेश में किसी नगर पंचात/नगर पालिका एवं नगर निगम को आदेर्श नगर पालिका/नगर पंचायत बनाने का उल्लेख नहीं है ।
   (3) नगर पंचायत बस्तर में पेयजल हेतु स्वीकृति बाड़ सागर बांध का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण करने का उल्लेख नहीं है ।
   (4) नगर पंचायत बस्तर में बरसों से आबादी भूमि में घर बनाकर रह रहे व समेकित व सम्पति कर पटा रहे नागरिकों को आबादी पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।

2. **श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   गुण्डरदेही आदिवासी मोहल्ला सोनकर मोहल्ला में सामुदायिक भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।

मांग संख्या – 11

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 3,47,05,24,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 11

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में फार्मासियूटिकल उद्योगों की स्थापना का प्रावधान नहीं है।
(2) सी.एस.आर. मद की राशि का उपयोग सीानीय विकास कार्यों में करने का प्रावधान नहीं है।
(3) प्रदेश के बेरोजगारों युवकों को सीापित उद्योगों में रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के उद्योगों द्वारा फेलाये जा रहे जलवायु एवं ठोस अपशिष्ट प्रदूषण को रोकने हेतु प्रभावी उपायों का उल्लेख नहीं है।
(5) सरगुजा में मक्का प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश में स्थापित उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीतियों का पालन कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(7) औद्योगिक नीति के अनुसार स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलबध कराने का प्रावधान नहीं है।
(8) उद्योगों द्वारा अधिग्रहित भूमि जो उद्योगों में प्रयोग नहीं हो रही उसे किसानों को वापस दिलाने का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित पानी से प्रदूषित हो रहे नदियों को बचाने कोई प्रावधान नहीं है ।
(2) उद्योगों के सी. एस. आर. मद के व्यय में नियंत्रण करने का प्रावधान नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

उद्योगों के विस्तार की योजना का उल्लेख नहीं है ।

4. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मड़वा पावर प्लांट के भूविस्थापित अब भी नौकरी से वंचित हैं नौकरी दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर के नव युवकों को प्रदेश के उद्योगो में रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है ।
(2) उद्योगों के सी.एल.आर. मद के व्यय पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है ।
(3) बस्तर में लघु वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना का प्रावधान नहीं है ।
(4) नई उद्योग नीति के तहत की जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख नहीं है ।
(5) जिला बस्तर में आद्योगिक विकास हेतु मक्का प्रोसिंग (खाट खाना) खोलने का उल्लेख नहीं है।

6. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर में प्रदेश के प्रथम उद्योग मंत्री की स्मृति के वृहद आद्योगीकरण की स्थापना सहित वहां नवरत्न कंपनी एन एम डी सी के समक्ष उद्योगों की श्रृंखला स्थापित कर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार । प्रोत्साहन की योजना नहीं है ।

7. श्री लखमा कवासी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के उद्योगों के सी.एस.आर. मद के व्यय पर नियंत्रण का प्रावधान नहीं है ।

8. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अभनपुर विधान सभा के नगरीय क्षेत्र में अभनपुर में सीापित जेड श्रेणी के उद्योग नवभारत फ्यूज एवं नवभारत एक्सप्लोसिव को अन्यंत्र स्थानांतरित करने का उल्लेख नहीं है ।
(2) उद्योगों के सी.एस.आर. मद के व्यय पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है ।
(3) प्रदेश के नवयुवकों को प्रदेश के उद्योगों में रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है ।
(4) औद्योगिक सुरक्षा मानकों का पालन करने का उल्लेख नहीं है ।

9. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदूषण के रोकथाम के उपाय का उल्लेख नहीं है ।
(2) उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का उल्लेख नहीं है ।
(3) राज्य में उद्योग क्षेत्र की वृद्वि 7.85 प्रतिशत से घटकर 5.84 प्रतिशत हो गयी है। इसे बढ़ाने का उल्लेख नहीं है ।
(4) मरवाही विधान सभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र अंजनी में उद्योग धंधे को बढ़ावा देने संबंधी योजना का उल्लेख नहीं है ।
(5) औद्योगिक प्रदूषण रोकने की क्या कार्य योजना है ? उल्लेख नहीं ।
(6) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के मालिकों पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है ।
(7) भारतीय हाथ करघा संस्थान छत्तीसगढ़ के चांपा छुरी में बोलने का उल्लेख नहीं है ।
(8) नयी पुरानी उद्योग नीतियों से उद्योग पतियों को हुए नुकसान की भरपाई का उल्लेख नहीं है ।
(9) विद्युत उत्पादन बढ़ाने के उपाय का उल्लेख नहीं है ।
(10) नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेशकरण को रोके जाने का उल्लेख नहीं है ।
(11) बस्तर में शक्कर कारखानो खोलने का उल्लेख नहीं है ।
(12) प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।
(13) उद्योग स्थापना हेतु किए गये एम.ओ.यू. के क्रियांवयन की समय–सीमा का उल्लेख नहीं है ।
(14) उद्योगों से प्रभावित किसानों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है ।
(15) महानदी का पानी छत्तीसगढ़ियों के लिए ज्यादा मात्रा में उपयोग करने का उल्लेख नहीं है ।
(16) बस्तर में टाटा स्टील प्लांट के प्रभावितों को जमीन वापस दिलाने का उल्लेख नहीं है ।

10. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कोई नये उद्योग धंधे एवं कारखाना खोलने का उल्लेख नहीं है ।
(2) प्रदेश में लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना का उल्लेख नहीं है ।
(3) प्रदेश में कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है ।
(4) प्रदेश में स्थापित उद्योगों में प्रभावितों एवं स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

11. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के उद्योगों हेतु अधिग्रहित की गई कृषि भूमि के अनुबंध का पालन सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है ।

(2) प्रदेश में पुनर्वास नीति का पालन करने का उल्लेख नहीं है ।

12. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में निजी एवं शासकीय उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार को देने का उल्लेख नहीं है ।

(2) पेण्ड्रारोड में स्थित औद्योगिक पार्क के क्षेत्र में वृद्धि व विकसित करने की योजना का उल्लेख नहीं है ।

13. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

स्थानीय बेरोजगारों को प्रदेश में स्थापित हो रहे उद्योगों में रोजगार दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 28

राज्य विधान मण्डल

मतदेय राशि रूपये **61,60,20,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक–47

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

मांग संख्या– 30

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 39,03,15,29,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 22

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मोबाईल टॉवर लगाने हेतु पंचायतों की मूलभूत की राशि लिये जाने से रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के भवनविहीन पंचायतों में सर्वसुविधायुक्त पंचायत भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के पंचायत शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश में कार्यरत शिक्षाकर्मियों के संविलियन/नियमितीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में मनरेगा के तहत् मजदूरी का भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शिक्षा कर्मियों के संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
(2) पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाने का उल्लेख नहीं है।
(3) मनरेगा में राशि वृद्धि का प्रावधान नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मनरेगा के पूर्व के भुगतानों को करने का उल्लेख नहीं है।
(2) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक–3 गोगांव में 30 बिस्तर अस्पताल खोलने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के लगभग दो लाख शिक्षा कर्मियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के तालाबों का संरक्षण करने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश के थैलेसिमिया बीमारी से पीड़ित रोगियों के उपचार का प्रावधान नहीं है।
(6) विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामों के लिये विशेष प्रावधान/योजना का उल्लेख नहीं है।
(7) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक–46 में अस्पताल खोलने का उल्लेख नहीं है।
(8) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक–52 में 30 बिस्तर अस्पताल खोलने का उल्लेख नहीं है।
(9) शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर को केन्द्रीय रीजनल आयुर्वेद संस्थान के रूप में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पंचायत शिक्षा कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है एवं पदोन्नति समय पर देने में सरकार असफल रही है।
(2) नगर पंचायत नवागढ़ नवीन बस स्टेंड, गौरव पथ एवं सरोवर धरोहर योजना की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के शिक्षा कर्मियों का संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) स्वच्छ भारत मिशन के तहत् शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(2) महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 200 दिवस रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(3) पुराने तालाबों का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश में पंचायत शिक्षा कर्मियों का संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
(5) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री गौरव पथ योजनांर्गत सड़क बनाने का उल्लेख नहीं है।
(6) बस्तर विधान सभा क्षेत्र मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत् सड़क बनाने का उल्लेख नहीं है।
(7) विधायक आदर्श ग्राम कलनार, खोरखोसा में मूलभूत सुविधा प्रदान करने तथा सड़क एवं नाला निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(8) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत निर्मित बालेगासे, खोरकोसा 5 कि.मी. एवं गारेगा से धरपावाड़ 10 कि.मी. सड़क जर्जर हो गई है पुननिर्माण एवं चौड़ीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(9) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नलपावन्ड, मूली–धनपुर, सोनपुर, पाचनपाल, कोलचूर, मोन्ड संतोषा, बागमोलार्य, चोकर, भैसगांव, सवरा चिवरगांव, कोरटा, अलनार आदि ग्रामों में आंतरिक सड़कों को मुख्यमंत्री सड़क योजना में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।
(10) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के किसी भी गांव के लिये मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत् सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(11) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में बनी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत् निर्मित सड़कों की मरम्मत करने का उल्लेख नहीं है।
(12) बस्तर विधान सभा क्षेत्र प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत् सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(13) प्रदेश में पंचायत शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(14) प्रदेश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत नियमित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(15) पंचायती राज व्यवस्था में लगे कम्प्यूटर ऑपरेटरों को शासकीय सेवा में लेने का उल्लेख नहीं है।
(16) प्रधामंत्री सड़क योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(17) पंचायत कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(18) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड बस्तर अंतर्गत नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में नाली निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(19) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड बस्तर अंतर्गत नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में पाईप लाईन विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शिक्षा कर्मियों के वेतन विसंगति को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
(2) शिक्षा कर्मियों को नियमित मासिक वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(3) मनरेगा में कार्यरत मजदूरों को समय पर मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को संविलियन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री केशव चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विकासखण्ड जैजैपुर के मुख्य मार्ग से डोमाडीह सड़क निर्माण करने का उल्लेख नही है।
(2) विकासखण्ड जैजैपुर के सालरौंदा से आमापाली सड़क निर्माण करने का उल्लेख नही है।
(3) विकासखण्ड जैजैपुर के ग्राम ओड़ेकेरा से जुनवानी सड़क निर्माण करने का उल्लेख नही है।
(4) विकासखण्ड जैजैपुर के ग्राम तुषार से ओड़ेकेरा सड़क निर्माण करने का उल्लेख नही है।
(5) विकासखण्ड जैजैपुर के ग्राम बहेराडीह से हरदीडेट सड़क निर्माण करने का उल्लेख नही है।
(6) विकासखण्ड जैजैपुर के मुख्य मार्ग से लिमतरा कोटतेरा सड़क निर्माण करने का उल्लेख नही है।
(7) विकासखण्ड जैजैपुर के गुचउलिया से करमनडीह सड़क निर्माण करने का उल्लेख नही है।
(8) विकासखण्ड जैजैपुर के मालखरौदा के मुख्यमार्ग से बाजारपारा पिरदा सड़क निर्माण करने का उल्लेख नही है।
(9) विकासखण्ड जैजैपुर के ग्राम अकलसरा से केकरापाठ सड़क निर्माण करने का उल्लेख नही है।
(10) विकासखण्ड मालखरौदा के ग्राम सपोटा से झेरियाडीया मरहाघट्टी तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नही है।
(11) विकासखण्ड जैजैपुर के पाडाहरदी से सेमराडीह होते हुए कलमीडीह सड़क निर्माण करने का उल्लेख नही है।
(12) प्रदेश के मजदूरों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मनरेगा मजदूरों को नियमित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश सूखा प्रभावित किसानों को 200 दिवस मनरेगा के तहत् रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
(3) बस्तर जिले में मनरेगा की मजदूरी की शेष राशि के भुगतान का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के पंचायत प्रेरकों की सेवा बहाल करने का उल्लेख नहीं है।
(5) बस्तर जिले के मनरेगा श्रमिकों का भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश में कार्यरत शिक्षा कर्मियों के संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
(7) चित्रकोट विधान सभा में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अपूर्ण व खराब सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(8) चित्रकोट विधान सभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की खराब एवं गड्ढे, बोल्डरयुक्त सड़कों के डामरीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(9) चित्रकोट विधान सभा के परोदा से दालपाल 3 कि.मी. सड़क के डामरीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(10) बस्तर जिले के ओ.डी.एफ. के अंतर्गत बने शौचालयों के लंबित भुगतान प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम हाटी, छाल, नावापारा (टिन्डा) में अटल समरसत्ता भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश पंचायत सचिवों के संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
(3) निर्वाचित संरपंचों को मानदेय प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(4) शिक्षा कर्मियों की स्पष्ट स्थानांतरण नीति अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह बनाने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश शिक्षाकर्मियों के संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शिक्षाकर्मियों की लंबित संवैधानिक आधिकारिक अनुरोध मांग के निराकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में पंचायत शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में ई–पंचायतों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में मनरेगा के तहत् कराये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(4) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(5) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र में किसी भी गांव के लिये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(2) पंचायत शिक्षकों के संविलियन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

14. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मनरेगा की लंबित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(2) पंचायतों की मूलभूति राशि का उचित उपयोग करने का उल्लेख नहीं है।
(3) मनरेगा की मजदूरी भुगतान की राशि 15 दिवस के अंदर देने का कोई उल्लेख नहीं है।
(4) मनरेगा में भ्रष्टचार को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(5) मनरेगा योजना में कार्यरत मजदूरों की लंबित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नागरिकों को लाभ पहुंचाने का उल्लेख नहीं है।
(7) पंचायतों में कार्यरत प्रेरकों की सेवाएं बहाली एवं मानदेय में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
(8) ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखण्डों में एक से ज्यादा संख्या में प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
(9) सभी पंचायतों तक मोबाईल कनेक्टिविटी पहुंचाने का उल्लेख नहीं है।
(10) पंचायती राज संस्थाओं को अफरशाही के दबाव से मुक्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(11) मनरेगा के मजदूरों को नगद मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(12) मनरेगा में 100 दिवस काम करने वाले परिवारों की संख्या में कमी आने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(13) शिक्षा कर्मियों का संविलियन शिक्षा विभाग में करने का उल्लेख नहीं है।
(14) विधायक आदर्श ग्राम में शासन द्वारा तय मापदण्ड के अनुसार विकास कार्य कराने का उल्लेख नहीं है।
(15) मरवाही विधान सभा क्षेत्र से संबंधित ग्राम बस्ती–बगरा में मोबाईल टॉवर लगाने का उल्लेख नहीं है।
(16) शिक्षा कर्मियों के आश्रितों को पंचायत या अन्य विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(17) शिक्षा कर्मियों की मांग पूरी करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(18) शिक्षा कर्मियों की स्थानांतरण नीति बनाने का उल्लेख नहीं है।

(19) स्वच्छ भारत मिशन के तहत् निर्मित गुणवत्ताहीन शौचालयों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(20) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कोटखर्रा से बंटीबहेरा पेण्ड्रा तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(21) शिक्षा कर्मियों को सातवां वेतनमान देने का उल्लेख नहीं है।
(22) प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को शिक्षा विभाग में संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
(23) पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने का उल्लेख नहीं है।
(24) प्रदेश की पंचायों में कार्यरत रोजगार सहायकों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(25) प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्यरत मजदूरों को मनरेगा मजदूरी समय पर प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

15. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कोटा विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अनेक सड़कें खराब हो गई है, सड़कों के नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
(2) दुर्गा चौक, पेण्ड्रा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पेण्ड्रा तक सड़क नवीनीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

16. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शिक्षा कर्मियों की मांग अनुरूप तत्काल शिक्षा विभाग में संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
(2) 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले पंचायत सचिवों को 5200–20200+2200 रू. ग्रेड वेतन तत्काल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के सरपंच, पंचों के मानदेय को बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

17. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लुण्ड्रा विकासखण्ड में प्रधानमंत्री सड़क जर्जर हो गई है उसके जीर्णोद्धार का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) मनरेगा के तहत् मजदूरी भुगतान लंबित है भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(3) शिक्षा कर्मियों को नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

18. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) आदिवासी क्षेत्रों में संचार सुविधा उपलब्ध करने का उल्लेख नहीं है।
(2) पंचायतों को मोबाईल नेटवर्क से जोड़ने की योजना का उल्लेख नहीं है।
(3) शिक्षा कर्मियों के संविलियन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(4) मनरेगा मजदूरों को नियमित मजदूरी भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

19. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पंचायत शिक्षक एवं नगरीय शिक्षक के संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
(2) पंचायत शिक्षकों को प्रतिमाह वेतन देने का उल्लेख नहीं है।

20. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शौचालय निर्माण का भुगतान देने की योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) शिक्षा कर्मियों का संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
(3) पुराने तालाब की मरम्मत की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़क की मरम्मत करने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत नई सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

21. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मोहला मानपुर क्षेत्र में तालाबों के सौंदर्यीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

22. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पंच एवं सरपंच के मानदेय में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

23. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) आयबांधा से डुमरछुचा तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) भरकाकसा, जोब डामरीकृत सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(3) नाडिया खुर्द में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
(4) धनगांव से डुमरछुचा तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(5) राष्ट्रीय राजमार्ग से रानीपुर खडखडी तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(6) चोरहा बंजारी से मुजाल पाथरी डामरीकृत सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
(7) राष्ट्रीय राजमार्ग से जनकपुर तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

24. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पी.एम.जी.एस.वाई. एवं एम.एम.जी.एस. वाई. के सड़कों को खस्ताहाल है, उनके सुधार करने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
(2) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित शौचालय गुणवत्ताहीन है।
(3) प्रदेश की पंचायतों एवं विद्यालयों में मूलभूत सुविधा बिजली, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
(4) मनरेगा के तहत् मांग के अनुरूप कार्य स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।
(5) मनरेगा के तहत् 200 दिवस रोजगार प्रदान करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
(6) मनरेगा के तहत् कराये जा रहे कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(7) प्रदेश में मनरेगा के श्रमिकों को लंबित मजदूरी का भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(8) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति को सुधारने संबंधी कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(9) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड खैरागढ़ के कुकुरमुड़ा से सिघौरी सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(10) प्रदेश के गांवों के खेल मैदान के समतलीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(11) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान के नादिया से बसावर सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(12) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड छुईखदान के मानिकचौरी से झंडाबाबा दनिया टोड तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

25. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे. 19

(1) संजारी–बालोद विधान सभा के विकासखण्ड गुरूर अंतर्गत छेड़िया से धबनपुर, खर्रा से दर्रा एवं मुख्यमार्ग से बोखरा की सड़कों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजनांतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के शिक्षक संवर्ग को मूल विभाग में संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के शिक्षक पंचायत संवर्ग को प्रतिमाह 5 तारीख तक वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

(4) संजारी–बालोद विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में ग्राम गौरव पथ निर्माण के लिये राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत संजारी–बालोद विधान सभा क्षेत्र के सभी चिन्हांकित ग्रामों के लिये राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) संजारी–बालोद विधान सभा क्षेत्र के चिन्हांकित ग्रामों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(7) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सरकार निर्धारित दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

(8) प्रदेश में कार्यरत पंचायत शिक्षकों को समयबद्ध पदोन्नति एवं प्रचलित वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

26. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे. 19

(3) मनरेगा के तहत् 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) मनरेगा के तहत् लंबित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 40,00,18,73,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 22

1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम पंचायतों की मूलभूत राशि बढ़ोत्तरी करने का उल्लेख नहीं है।
(2) पाटन विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत् सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चित्रकोट विधान सभा के मटकोट से आरापुर सड़क के डामरीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर–चांपा जिले में मनरेगा एवं शौचालय निर्माण के कार्यों का अनेक महीनों से भुगतान लंबित है, भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(2) जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के आदर्श ग्राम सेमरा में मंगल भवन निर्माण एवं मिनी स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(3) आदर्श ग्राम सेमरा में अटल चौक से बरभांठा तक जर्जर सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम पंचायतों में अनियमितता रोकने में सरकार असफल रही है।
(2) प्रदेश के भवनविहीन पंचायतों में सर्व सुविधायुक्त भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(3) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामों में समरसता भवन की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(4) बस्तर विधान सभा क्षेत्र की खस्ताहाल रोड पीठापुर से तुगापाल 3 कि.मी., नलपावन्ड से तुगापाल 5 कि.मी., पी.कोरला से सिवनागुड़ा 5 कि.मी., दामागुड़ा से बदलावन्ड 2 कि.मी. सड़क निर्माण मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।
(5) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के तहत् मुख्यमंत्री सड़क योजना में बनी सड़क खस्ताहाल हो रही है, इनकी मरम्मत एवं सुधार करने का उल्लेख नहीं है।
(6) पंचायतों की मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का हल करने में सरकार असफल रही है।

6. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजनांतर्गत आंतरिक ग्रामीण पथों के निर्माण में गुणवत्ता का अभाव है ।

(2) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत बन रही सड़कों में गुणवत्ता का अभाव है।

7. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को किसी भी प्रकार का वित्तीय अधिकार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।

8. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में ई–डिजीटल पंचायतों को बढ़ावा देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अभनपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में समरसता भवन स्वीकृति करने का उल्लेख नहीं है।

(3) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों (तामासिवनी, खोरपा, पारागांव, तोरला) में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में नियमित मजदूरी भुगतान करने के संबंध में कोई उल्ल्ेख नहीं है।

10. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मनरेगा की मजदूरी भुगतान देरी हो रही है। 15 दिन में मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

(2) किसानों की कृषि उपज लागत कम करने के लिये मनरेगा की मजदूरी को खेती से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।

11. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधान सभा क्षेत्र सामरी की ग्राम पंचायत की गलियों का पक्कीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सामरी में तत्काल मनरेगा के तहत् मजदूरी कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सामरी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भानुप्रतापपुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्य सम्मिलित करने का उल्लेख नहीं है।

(2) भानुप्रतापुर विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा के तहत् मजदूरी के लंबित भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी भुगतान करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

14. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मनरेगा के तहत् बेरोजगारी भत्ता देने की योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 19

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 20,46,64,52,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 17

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के संरक्षित आदिवासी परिवारों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाईयों की समुचित व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश के समस्त अस्पतालों में शव वाहनों की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
(6) मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का उचित क्रियान्वयन करने का उल्लेख नहीं है।
(7) प्रदेश के अस्पतालों में गुर्दारोगियों के डायलिसिस हेतु मशीनों की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
(8) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनांतर्गत स्मार्ट कार्ड निश्चित समयसीमा में बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(9) प्रदेश में दवाई खरीदी में हो रही व्यापक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शव उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर संभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
(2) धरमजयगढत्र सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में मितानीन प्रशिक्षकों का मानदेय वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(4) स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत प्रशिक्षित मितानिनों को ए.एन.एम. के पर पर आरक्षक पदस्थ करने का उल्लेख नहीं है।
(3) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सक विहीन अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति कराने का उल्लेख नहीं है।

6. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों को एयरलिफ्ट कर अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में आपात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(2) दंतेवाड़ा जिले में सभी के रोगों के उपचार हेतु चिकित्सकों की सुविधा साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री मोतीलाल देवांगन , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) चांपा शहर के शासकीय बी.डी.एम. अस्पताल में डॉक्टरों एवं दवाईयों की कर्मी के कारण अस्पताल बंद होने की कगार पर है, नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।
(2) सी.टी. स्केन मशीन उपलब्ध कराने और ब्लड बैंक प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में जिला अस्पताल प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(3) बस्तर विधान सभा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
(4) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
(5) अस्पतालों में गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(7) प्रदेश में चिकित्सालयों में गलत उपचार एवं घटिया दवाईयों के वितरण पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।
(8) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
(9) प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शव वाहन की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
(10) प्रदेश में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला चिकित्सालयों में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(11) प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों को निजी अस्पतालों में सेवा से प्रतिबंध करने का उल्लेख नहीं है।
(12) प्रदेश के संरक्षित आदिवासी परिवारों को समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(13) प्रदेश के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(14) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालय निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(15) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन निर्माण एवं बाउंड्रीवाल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(16) प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस मशीन एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लोक स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स, सोनोग्राफी, एक्सरे मशीनों की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भोखिपार, हुडगहन, गकिरा नवागांव, हल्दी, चीचा, रजोली, सिलदी, बेला हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती कराने का उल्लेख नहीं है।
(3) गुण्डरदेही, नांकदा एस, बेलौदी, भोथियार, हड़गकण्ड, गकिरा नवागांव, हल्दी चीचा, हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(4) पिनकापार व अर्जुन्दा के लिये आयुष औषधालय भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(5) गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम सिकोसा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
(6) भरदाकला व सिकोसा के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रही लापरवाही को रोकने में सरकार विफल रही है।
(2) प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्रों, चिकित्सालयों में रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति करने में सरकार विफल रही है।

12. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) फरसगांव ब्लाक के उपस्वास्थ्य केन्द्र सोडमा हेतु नवीन भवन की स्वीकृति नहीं है।
(2) फरसगांव ब्लाक के उपस्वास्थ्य केन्द्र चिंगनार हेतु नवीन भवन की स्वीकृति नहीं है।
(3) बड़े राजपुर ब्लाक के उपस्वास्थ्य केन्द्र कौन्दकेरा हेतु नवीन भवन की स्वीकृति नहीं है।
(4) बड़े राजपुर ब्लाक के उपस्वास्थ्य केन्द्र खजरावण्ड हेतु नवीन भवन की स्वीकृति नहीं है।
(5) केशकाल ब्लाक के उपस्वास्थ्य केन्द्र केशकाल हेतु नवीन भवन की स्वीकृति नहीं है।
(6) केशकाल ब्लाक के उपस्वास्थ्य केन्द्र कानागांव हेतु नवीन भवन की स्वीकृति नहीं है।
(5) प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र कानगुड हेतु नवीन भवन की स्वीकृति नहीं है।
(6) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धनोरा में भवन बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री केशव चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विकासखण्ड जैजैपुर के ग्राम देवरघट्टा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
(2) विकासखण्ड मालखरौदा के ग्राम छपोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
(3) विकासखण्ड मालखरौदा के ग्राम बड़ेरबेली में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
(4) विकासखण्ड जैजैपुर के ग्राम जर्वे में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
(5) विकासखण्ड जैजैपुर के ग्राम कुचंदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने का प्रावधान नहीं है।
(2) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम.बी.बी.एस. डॉक्टर पदस्थ करने का उल्लेख नहीं है।
(3) सिकलसेल इंस्टीट्यूट प्रारंभ करने, भवन निर्माण तथा वहां रिक्त पदों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
(4) राज्य के अस्पतालों में गुर्दा रोग के रोगियों के डायलिसिस हेतु मशीनों की पर्याप्त व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में जानलेवा बीमारी पैदा करने वाली गुड़ाखु पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख नहीं है।
(6) गोबरा–नवापारा में 100 बिस्तर अस्पताल प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

15. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शव वाहन की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(2) मितानिनों को नियमित कर्मचारी बनाने का उल्लेख नहीं है।
(3) मितानिनों को ए.एन.एम. पद पर पदस्थ करने का उल्लेख नहीं है।
(4) पेण्ड्रारोड में नव निर्मित मातृ शिशु अस्पताल में डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(5) विकासखण्ड पेण्ड्रा में 30 बिस्तर अस्पताल बनाने का उल्लेख नहीं है।
(6) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य मरवाही, गौरेला एवं पेण्ड्रो विकासखण्ड में 108 संजीवनी एक्सप्रेस की एक–एक गाड़ियां बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
(7) जिन चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता निलंबित की गई है उनकी मान्यता वापस दिलाने का उल्लेख नहीं है।
(8) पत्रकारों को इलाज में 10 लाख रूपये तक सहायता उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(9) डब्ल्यू.एच.ओ. मापदण्ड के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में राशि खर्च करने का उल्लेख नहीं है।
(10) प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में गुर्दा (किडनी) के मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस कराने की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(11) प्रदेश में संचालित नर्सिंग कालेजों को तय मापदण्ड अनुसार चलाने का उल्लेख नहीं है।
(12) प्रदेश के चिकित्सालयों में मशीनों को ऑपरेट करने वाले तकनीशियन की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(13) प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त दवा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(14) सेनेटरी नेपकिन को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का उल्लेख नहीं है।
(15) स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था को सुधारने का उल्लेख नहीं है।
(16) दुर्ग, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, पेण्ड्रारोड में मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
(17) स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकताएं जिन्होंने साढ़े तीन वर्ष ए.जी.एन.एम. का विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें स्टाफ नर्स के पद पर पदोन्नति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(18) आयुर्वेद चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।
(19) प्रदेश में बढ़ रहे एच.आई.वी. पीड़ितों की संख्या पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

17. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के शहरों में मच्छरों की समस्या विकराल हो रही है नियंत्रण के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों की व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है।
(3) मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनांतर्गत बनाये जाने वाले स्माट कार्ड को निश्चित समय–सीमा में बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के अमानक एवं नकली दवाईयों की खरीदी एवं वितरण को रोकने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में मलेरिया से हो रही मौतों को रोकने में सरकार असफल रही है।
(6) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक प्राथमिक एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर नर्स, वार्ड ब्याय एवं अन्य पदों पर नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।
(7) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने का उल्लेख नहीं है।

18. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरूर में बिस्तरों की संख्या बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) चिकित्सकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
(3) संजारी–बालोद विधान सभा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पलारी के उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।
(4) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु सरकार की कोई स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।

19. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर/स्टाफ की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
(2) मितानिनों के मानदेय में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

20. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों की नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।
(2) स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने का उल्लेख नहीं है।
(3) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है।

21. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मोहला मानपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम–कोराचा में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
(2) मानपुर के सहपाल में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
(3) मोहला मानपुर विधान सभा क्षेत्र के मुकादाह में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
(4) मोहला मानपुर विधान सभा क्षेत्र के तारमटोला में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
(5) आदिवासी क्षेत्र मोहला मानपुर में कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने का उल्लेख नहीं है।
(6) कुपोषण को पूर्णतः मिटाने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

22. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ओड़गी विकासखण्ड के मोहली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

23. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कोटा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सामुदायिक, प्राथमिक एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(2) कोटा विधान सभा के 20 उपस्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. पदस्थ करने का उल्लेख नहीं है।

24. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
(2) ग्राम पंचायत कुन्द्री में अस्पताल में बिस्तर बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

25. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधान सभा क्षेत्र सामरी के चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना एवं भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(2) विधान सभा क्षेत्र सामरी के स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में पर्याप्त जीवन रक्षक दवाईयों की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
(3) विधान सभा क्षेत्र सामरी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(4) विधान सभा क्षेत्र सामरी के चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सा उपककरणों की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

26. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) चिकित्सालयों में चिकित्सक की कमी है। पदस्थापना एवं भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(2) अस्पतालों में चिकित्सक, नर्स पैथोलॉजी की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(3) मितानिनों को प्रशिक्षण उपरांत स्थायी भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 79
चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 8,04,66,89,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 51

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में नये मेडिकल कॉलेज खोलने का का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में कार्यरत संविदा आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का का उल्लेख नहीं है।
(2) दुर्ग जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार का उल्लेख नहीं है।
(3) बस्तर जिले के अस्पतालों में चिकित्सक के रिक्त पदों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में संचालित मेडिकल कॉलेजों में विषय विशेषज्ञ चिकित्सक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर–चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

6. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में डायलिसिस मशीन क्रय कर स्टाल करने का उल्लेख नहीं है।
(2) चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्षों से रिक्त पदों को भरे जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में नये मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में नई सुविधाएं बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। पूर्ति करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

8. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के दल्ली राजहरा में 100 बिस्तर का अस्पताल खोलने का उल्लेख नहीं है।
(2) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(3) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के दल्ली राजहरा के उपस्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बिस्तर वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
(4) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड मुख्यालय डौण्डीलोहारा में 100 बिस्तर अस्पताल की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 29

न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

मतदेय राशि **रूपये 4,86,15,25,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 21

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सजा एवं सुलभ न्याय प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश के न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण हेतु प्रावधान नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े परिवारों को सहज, सुगम एवं सत्ती न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में गरीबों को सहज एवं सस्ती न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के न्यायालयों में दीर्घ अवधि से लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के न्यायालयों में रिक्त पदों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण की कोई योजना नहीं है।

6. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त राजपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायालय, अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट और कुसमी अनुभाग में सिविल कोर्ट की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चौकी प्रथम सिविल न्यायालयों को जिला न्यायालय बनाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चांपा में एडीजे कोर्ट की स्थापना का उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 10

वन

मतदेय राशि **रूपय 10,86,45,07,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 10

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वनों की अवैध कटाई रोकने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के लघुवनोपज की मूल्य वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में हरिहर योजना के तहत वृक्षारोपण में की जा रही आर्थिक अनियमितता को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
(4) व्यक्तिगत एवं सामूहिक वनाधिकार दिलाने का प्रावधान नहीं है।
(5) वन्यजीवों द्वारा किये जा रहे फसलों के नुकसान को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
(6) वन्य पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
(7) प्रदेश में लघु वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना कोई का उल्लेख नहीं है।
(8) प्रदेश के सभी शहरों में ऑक्सीजोन की स्थापना किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
(9) प्रदेश में हाथियों के द्वारा की जा रहे जान–माल की क्षति को रोकने में विभाग की कोई कार्ययोजना नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में वृक्षारोपण में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।
(2) लघुवनोपज के समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
(3) अवैध वन कटाई को रोकने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
(4) आदिवासी एवं परम्परागत निवासियों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक वनाधिकार का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में वन विस्तार की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) वनोपज के विक्रय हेतु उचित व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
(3) वन्यप्राणियों के संरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।
(4) वन्यजीव एवं मानवद्वंद को रोकने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(5) जल संरक्षण हेतु पौधारोपण की योजना का उल्लेख नहीं है।
(6) छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों की वृद्धि किये जाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री रामदयाल उईके, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) गिधमुड़ी से अरसिया 4 किलोमीटर वन मार्ग का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) बीजाडांड से पंडोपारा, जकमे 4 किलोमीटर वन मार्ग के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

5. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वनोपज के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने तथा पर्याप्त वृक्षोरोपण किये जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वन ग्रामों के विकास एवं बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वनों की अवैध कटाई को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) वन अधिकार पत्र से वंचित आदिवासियों को वनाधिकार पत्र देने की समय–सीमा का उल्लेख नहीं है।

9. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जामवंत योजना के अन्तर्गत शासकीय वन नर्सरी में फलदार वृक्षों के पौधे तैयार करने का उल्लेख नहीं है।
(2) केंवची ग्राम पंचायत में अचानकमार टाईगर रिजर्व में जाने हेतु सीएनजी जीप उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(3) भालू प्रभावित क्षेत्र मरवाही में जामवंत परियोजना की राशि जारी करने का उल्लेख नहीं है।
(4) कोटा, पेण्ड्रा एवं रतनपुरी में मुक्तिधाम में ऑक्सीजोन बनाने का उल्लेख नहीं है।
(5) घटते वनों में वृद्धि के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वन क्षेत्रों में वन्यजीवों के हमले से वनवासियों की हो रही मृत्यु को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यों हो रही धांधली को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में जंगली हाथियों के आक्रमणों से हो रही जन–धन की हानि को रोकने की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
(4) रायपुर एवं महासमुंद जिलों के ग्रामों में जंगली सुअरों द्वारा की जा रही फसलों के नुकसान को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(5) अभनपुर क्षेत्र के ग्रामों में बंदेलिन गायों द्वारा की जा रही फसलों की क्षति को रोकने एवं गायों को जंगल तक पहुंचाने हेतु कार्ययोजन का उल्लेख नहीं है।
(6) जंगल सफारी में बंदेलिन गायों तथा तथा जंगली सुअरों हेतु अलग–अलग बाड़ों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(7) प्रदेश में वनोपज के समर्थन मूल्य एवं खरीदी केन्द्रों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
(8) प्रदेश में वनो की अवैध कटाई को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वन क्षेत्रों में प्राकृतिक झरनों का संरक्षण संवर्धन एवं रख–रखाव का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) वन क्षेत्रों में नवीन तालाबों एवं पुराने तालाबों का गहरीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के वनों में सुधार एवं वृक्षों की पर्याप्त सुरक्षा का उल्लेख नहीं है।
(5) वन क्षेत्रों में नवीन पुलिया के निर्माण एवं पुराने पुल पुलियों की मरम्मत का उल्लेख नहीं है।
(6) वन क्षेत्रों में सड़क बनाने का उल्लेख नहीं है।
(7) वनों की अवैध कटाई को रोकने का उल्लेख नहीं है।

(8) वनोपज के समर्थन मूल्य वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
(9) व्यक्तिगत एवं सामूहिक वन अधिकार पत्र दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(10) बस्तर में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
(11) वन्यजीवों के हमले से वनवासियों की हो रही मौत को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(12) वन विभाग द्वारा निर्मित वन क्षेत्रों में बने रोड की मरम्मत का उल्लेख नहीं है।
(13) बस्तर में बूट जंगली पशु गायों के द्वारा की जा रही जान–माल की क्षति के नियंत्रण हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(14) वन विभाग में वृक्षारोपण के नाम पर हो रही आर्थिक अनियमितता को रोके जाने की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

12. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर जिले के आदिवासियों को वनभूमि पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(2) बस्तर जिले में वनों की अवैध कटाई रोकने की योजना का उल्लेख नहीं है।

13. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधान सभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा के निवासियों को वनभूमि अधिकार के तहत भूमि का वितरण एवं पट्टा देने का उल्लेख नहीं है।
(2) वनों की अवैध कटाई को रोकने तथा वनोपज को हो रही क्षति को रोकने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वनांचल क्षेत्र के विकास हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

15. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सामरी विधान सभा क्षेत्र में हाथियों से प्रभावित ग्रामों में शत–प्रतिशत स्ट्रीट लाईट लगाने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में वनों की अवैध कटाई हो रही है।

17. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में लगातार वनों की हो रही अवैध कटाई पर नियंत्रण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

18. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जंगली हाथियों के कारण जन–धन एवं फसलों को हो होने वाली क्षति से राहत दिये जाने हेतु किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) वनों की अवैध कटाई को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(3) संजारी–बालोद विधान सभा क्षेत्र के जर्जर वन मार्गों के नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
(4) वनोंपज के समर्थन मूल्य में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।

19. श्री तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मोहला–मानपुर चौकी में आदिवासियों के वन अधिकार पट्टा के लंबित प्रकरण के निराकरण का उल्लेख नहीं है।
(2) जंगली जानवरों का ग्रामों में प्रवेश होने से रोकने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(3) वनों में हो रही तस्करी को रोकने के लिये ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।
(4) मोहला–मानपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(5) वनों की अवैध कटाई एवं तस्करी को रोकने के लिए किसी भी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

20. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) गैर हाथी प्रभावित क्षेत्रों में हाथियों का विचरण रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(2) वनोपज के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
(3) हाथी प्रभावितों को पर्याप्त मुआवजा राशि देने का उल्लेख नहीं है।
(4) मरवाही के ग्राम धनपुर में वन विभाग द्वारा रॉक गार्डन बनाने का उल्लेख नहीं है।
(5) तेंदूपत्ता बोनस तिहार के नाम पर करोड़ों रूपयों के दुरूपयों का उल्लेख नहीं है।
(6) वन ग्रामों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(7) तेंदूपत्ता फड़ मुंशी को मानदेय दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(8) तेंदूपत्ता संग्रहण दर तीन हजार रूपये किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(9) गौरेला विकासखंड के वनग्राम उंटा के आश्रित ग्राम डांढजमड़ी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(10) वन विभाग की केंपा मद की राशि पूर्ण उपयोग किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(11) राज्य औषधि पादप बोर्ड की योजनाओं में स्वीकृत राशि के पूर्ण उपयोग का उल्लेख नहीं है।
(12) प्रदेश में एलिफेंट कॉरीडोर बनाने का उल्लेख नहीं है।

21. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में वनों की अवैध कटाई को रोकने तथा वन के विस्तर की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में वनों के संरक्षण की नीति का उल्लेख नहीं है।

22. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में मोबाईल नेटवर्क की वैकल्पिक व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
(2) वनों की अवैध कटाई पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

23. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में वन अधिकार पट्टा वितरण में भेदभाव को रोके जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में वनों की अवैध कटाई को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

24. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) हाथियों से बचाव हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) वनों के संरक्षण की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।